NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम :– रानीखेत जालली मॉसी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते हुवे अम्याड़ी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत रानीखेत जालली मॉसी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते हुवे अम्याड़ी की ओर लिंक मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। मार्ग की कुल स्वीकृत लम्बाई 2.00 किमी0 है। उक्त क्षेत्र हेतु कोई भी लिंक मार्ग या सड़क मार्ग नहीं है जिससे यहॉ की जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, अतः उक्त मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है। इस मोटर मार्ग के लिये 2 समरेखन निर्धारित किये गये थे :–

समरेखन–1 यह समरेखन रानीखेत–जालली–मॉसी मोटर मार्ग किमी0–16 के हेमी0–0–2 से प्रारम्भ होकर गुलोली गॉव के नीचे खेतों में समाप्त होता है। जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है। इस समरेखन का ग्रेड सरल है इस समरेखन में नाप भूमि/ वन पंचायत भूमि प्रभावित होती हैं। इस समरखेन के निर्माण से लागत भी कम आयेगी। इस समरेखन हेतु भू–गर्भवेत्ता द्वारा भी सहमति दी गई है।

समरेखन–2 यह समरेखन रानीखेत–जालली–मॉसी मोटर मार्ग किमी0–15 के हेमी0–8–10 से प्रारम्भ होकर गुलोली गॉव के नीचे खेतों में समाप्त होता है। जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है। इस समरेखन में सिविल भूमि अधिक प्रभावित होती है एवं इस समरखेन के निर्माण से लागत भी अधिक आयेगी। जिस कारण इस समरेखन को निरस्त कर दिया गया है।

उपर्युक्त दोनों समरेखनों के अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा समरेखन–1 में न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती है तथा वन भूमि के अतिरिक्त निर्माण हेतु कोई और विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने हेतु परियोजना को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग,
रानीखेत ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग,
रानीखेत ।